

कार्यालय जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी जनपद रायबरेली ।

विज्ञप्ति संख्या 2060 / व्यवस्थापन / 2020-21 / रायबरेली दिनांक 25 जनवरी, 2020

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या-11 / 2020 / 155 ई-2 / तेरह-2020-01 / 2020 दिनांक 24.01.2020 एवं आबकारी आयुक्त उ०प्र० प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-26444 / दस-लाइसेंस-367 / आबकारी नीति / 2020-21 दिनांक 25.01.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद रायबरेली में वर्ष 2020-21 हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा, वीयर, मॉडलशाप एवं भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन दिनांक 28.01.2020 से प्रारम्भ होगा। सर्वप्रथम वर्ष 2019-20 में व्यवस्थित एवं नवीनीकरण के लिए अर्ह पायी गयी दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 28.01.2020 (पूर्वान्ह 11.00 बजे से) से दिनांक 03.02.2020 (पूर्वान्ह 11.00 बजे) तक ई-लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर आनलाइन आमंत्रित किये जाते है। आनलाइन नवीनीकरण के पश्चात् जनपद की अवशेष मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के माध्यम से 03 चरणों में 18.02.2020, 12.03.2020 एवं 24.03.2020 से किया जायेगा।

जनपद में मदिरा एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण एवं अवशेष दुकानों को ई-लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्तें जनपद की वेबसाइट www.raebarely.nic.in विभागीय वेबसाइट www.oldupexcise.in तथा ई-लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर देखी जा सकती है।

(राजेश्वर)

जिला आबकारी अधिकारी
रायबरेली

(शुभ्रा सक्सेना)

जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी
रायबरेली